न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 68/2016 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री परसराम उर्फ पुरूषोतम पिता भीमशंकर जी ब्राह्मण निवासी माणक्यावास तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री छगनलाल पिता भीमशंकर जी ब्राह्मण निवासी माणक्यावास तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री भंवरलाल पिता भीमशंकर जी ब्राह्मण निवासी माणक्यावास तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री जोधराज पिता भीमशंकर जी ब्राह्मण निवासी माणक्यावास तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री मगनीराम पिता भीमशंकर जी ब्राह्मण निवासी माणक्यावास तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री खेमराज पिता भीमशंकर ली ब्राह्मण निवासी माणक्यावास तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री मोहनगिरी पिता जीवनगिरी जी गोस्वामी निवासी नजेरा (बिलोता) तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर
8. उप पंजीयक अधिकारी मावली जिला उदयपुर
9. पटवारी पटवार हल्का मांगथला तहसील मावली जिला उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली दिनांक
14–5–2016 प्रकरण संख्या 212/2015 वाद

————

उपस्थित :–1–श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री प्रकाश पटेल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3–श्री खेमराज डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5
4– राजकीय अधिवक्त रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8, 9

————/————

निर्णय **दिनांक 04–12–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 वादी द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित ग्राम माणक्यावास में स्थित आराजीयात परिशिष्ठ **''अ''** किता–26 रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा स्थित है तथा परिशिष्ठ **''ब''** ग्राम खरबड़ों का गुड़ा की कूल आराजीयात किता–2 रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा भमि स्थित है। परिशिष्ठ **''अ''** की भूमियों में वादी व प्रतिवादी संख्या–1 से 5 का संयुक्त व बराबर का हिस्सा है। परिशिष्ठ **''ब''** की आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5 के नाम 1/2 व वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 3 के नाम 5/12 तथा प्रतिवादी संख्या–7 (वास्तव में प्रतिवादी संख्या–6) के नाम 1/12 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पक्षकारों के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी आराजी विशेष बेचने को आमादा है, अतएव विधिवत बंटवाड़ा करवा कर स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 की और से जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए बंटवाड़े पर सहमति दी तथा काउण्टर क्लेम में प्रतिवादीण द्वारा भी बंटवाड़े की राहत स्वयं के लिए भी चाही। अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–3 की और से अधिवक्ता ने दिनांक 8–9–2015 को जवाब का अवसर चाहा गया था। पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 व 6 के सम्मन के इन्तजार में लम्बित थी। दिनांक 4–2–2016 को पत्रावली में काउण्टर क्लेम जवाबदावा व तलबी की दिनांक 21–4–2016 की पेशी तय की गई। दिनांक 21–4–2016 को पत्रावली को लोक अदालल मांगथला में रखे जाने हेतु अधिवक्तागण को सूचित किया गया तथा इसी के साथ आदेशिका पर उपलब्ध स्थान पर सभी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के हस्ताक्षर उपलब्ध है तथा **''बंटवाड़ा स्वीकार''** अंकित होने के बाद दिनांक 14–5–2016 को अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति से हस्ब राजस्व रेकार्ड विधिवत बंटवाड़ा किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री पारित की। अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 14–5–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 8–8–2016 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि दिंनाक 21–4–2016 को एक कागज पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये तथा 19–3–2016 की पेशी दी गई, परन्तु दुबारा छाप लगाकर 14–5–2016 की पेशी देना बताकर सहमति बंटवाड़ा अंकन कर पत्रावली फैसल कर दी गई। वकील अपीलान्ट ने 19–7–2016 को जवाबदावा व काउण्टर क्लेम पेश करने के लिए पत्रावली ढूंढी तो अचानक उन्हें दिनांक 14–5–2016 को फैसला होने की जानकारी हुई। अतएव अन्दर जानकारी मयाद अपील पेश की जा रही है। न्यायहित व अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री प्रकाश पटेल, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 की और से अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 9 की और से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेशी दिनांक 21–4–2016 की थी व हस्ताक्षर उपस्थित होने बाबत् ही करवाये गये थे। बंटवाड़े के बाबत स्वीकारोक्ति का कोई कथन नहीं किया गया था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 14–5–2016 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। अपीलान्ट ने खेमराज का

हिस्सा खरीद रखा है तथा उस हिस्से पर अपीलान्ट का कब्जा है, वह कथित खेमराज के हिस्से का मालिक है। इसलिए जवाबदावा व प्रतिदावा पेश करना था। इसके लिए अपीलान्ट को दिनांक 19–7–2016 की पेशी भी दी गई थी तथा इसी के हस्ताक्षर फर्द अहकाम पर करवाये गये थे। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विवेक अनुपयोग प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि यह व्यक्त स्थिति है कि दिनांक 21–4–2016 को 19–7–17 की पेशी दिये जाने की छाप लगी हुई है, परन्तु इसके तुरन्त बाद ही 21–4–2016 में पत्रावली को मांगथला कैम्प में रखे जाने बाबत् अधिवक्ता को सूचित किये जाने की आदेशिका अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 21–4–2016 को पहले 19–7–2016 की पेशी दी गई पर बाद में दिनांक 21–4–2016 को ही अधिवक्तागणों को मांगथला कैम्प बाबत् सूचित किया गया। 21–4–2016 को पक्षकारों के उपस्थित होने व सभी पक्षकारों के उपस्थित होने का न तो कोई निर्देश था, न ही आवश्यकता। दिनांक 21–4–2016 की आदेशिका के बाद के रिक्त स्थान में सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है तथा बंटवाड़ा स्वीकार भी अंकित किया हआ है, जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दिनांक 21–4–2016 को पक्षकारान हाजरी हेतु उपस्थित हुए हो। आदेशिकाओं की निरन्तरता में अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 21–4–2016 को अधिवक्तागणें को मांगथला कैम्प बाबत् सूचना दी गई है तथा दिनांक 14–5–2016 को ही पक्षकारान व अपीलान्ट के हस्ताक्षर आदेशिका पर बंटवा़डा स्वीकार के अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की सहमति आधार पर बंटवाड़ा राजस्व रेकार्ड अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री पक्षकारान की सहमति आधार पर जारी की गई है तथा उक्त डिक्री भी राजस्व रेकार्ड के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड आधार पर बंटवाड़ा किये जाने की पारित की गई है। अर्थात प्रारम्भिक डिक्री सहमति आधार पर जारी की गई है। अपीलान्ट का वादी रेस्पोन्डेन्ट के स्थान पर किसी अन्य रेस्पोन्डेन्ट खेमराज प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 से इकरारनामें के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के आधार पर जवाब व

काउण्टर क्लेम पेश किये जाने का जो आधार लिया है, वह प्रथम दृष्टया मानने योग्य नहीं है। क्योंकि विभाजन पर उसकी सहमति स्पष्ट है तथा प्रतिवादी अपीलान्ट किसी अन्य प्रतिवादी के विरूद्ध वादी के विरूद्ध काउण्टर क्लेम पेश करने को विधिक रूप से अधिकृत भी नहीं है। क्योंकि वादी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा सिर्फ विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। अपीलान्ट प्रतिवादी यदि किसी अन्य प्रतिवादी के हिस्से का इकरारनामें से क्रेता है तो वह उसके विरूद्ध व उसे प्राप्त होने वाले हिस्से को प्राप्त करने के लिए पृथक से कार्यवाही को विधिक रूप से बाधित नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री सहमति आधार पर जारी की गई है, जिसकी अपील प्रथमतया तो लाई नहीं होती तथा यदि उसमें किसी प्रकार का बलात् अथवा धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है, तो उसे निरस्त करने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। अपीलान्ट को जो अन्य अपील हेतुक है वह भी विधिक रूप से उपरोक्त विवेचनानुसार मान्य नहीं है। क्योंकि अन्तर पारस्परिक प्रतिवादीगण के हक अधिकारों को लेकर वादी के विभाजन वाद को बाधित नहीं किया जा सकता। जबकि वादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध अपीलान्ट का कोई क्लेम वर्णित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2016 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधिनस्थ न्यायाय की पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

श्री परसराम उर्फ पुरूषोतम पिता पिता भीमशंकर जी ब्राह्मण निवासी माणक्यावास तहसील मावली जिला उदयपुर

बनाम 1– **श्री छगनलाल पिता भीमशंकर जी ब्राह्मण निवासी माणक्यावास तह0 मावली जिला उदयपुर (राज0) अन्य–5 व सरकार**

अपील नं0 **68 / 2016** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**मावली** .....मुकाम मुक्र्खे.....**14**.....माह.....**05**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**04**..... माह .....**12**..... सन् .....**2017** .....रूबरू ..... पक्षकारान व हाजरी .....**श्री संजय बोहरा** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व ..... **श्री प्रकाश पटेल व श्री खेमराज डांगी**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**04**..... माह .....**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।